

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ओर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ला रीवानी]

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी [राजस्व] श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

बूटा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 5 /2022

निर्णय दिनांक :- 06.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनकिलात कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी [राजस्व] श्रीकरणपुर व हाजरी बाबी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादरुज बाबी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 12 एस की जमाबन्दी सन्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 23 में बूटा सिंह हिस्सा 2504/3163 रहन एस.बी.बी.जे. शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर बूटा सिंह हिस्सा 2504/3163 रहन एस.बी.आई. शाखा केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 06.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड-सुरिजरी (राजस्व)

श्री कच्छपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	—
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	—
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2022/ 17

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 06/01/2022

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड-सुरिजरी (राजस्व)

श्री कच्छपुर